

परिशिष्ट-1

(नियम 29 देखिये)
नामांकन की सूचना

*सभा क्षेत्र/पंचायत समिति क्षेत्र/जिला परिषद् क्षेत्र के वार्ड क्रमांक () से पंच/सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद् तथा सरपंच का निर्वाचन ।

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपर वर्णित निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नामांकन पत्र आज 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं:-

नामांकन पत्र का क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	*पिता/पति का नाम	उम्मीदवार की आयु	पता
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)

अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग का यदि हो तो जाति का विवरण

उम्मीदवार का मतदाता सूची क्रमांक

जमा कराई गई राशि की विवरणी

यदि सरकारी खजाने में जमा कराई गई है तो स्कूल नं० तिथि तथा खजाने का नाम

यदि निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) /सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के पास जमा कराई गई है तो निर्वाचन आयोग की पुस्तिका/रसीद नं० तथा तिथि

(6.)

(7.)

(8.)

(9.)

तारीख
स्थान

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)/
सहायक रिटर्निंग अधिकारी(पंचायत)

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।

उक्त विवरणी में उम्मीदवारों के नाम वर्ग क्रमानुसार और ठीक उसी तरह लिखे जायें जैसे कि नामांकन पत्र में अंकित है।

विवरणी तैयार होते ही उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सीधी तथा एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से भेजी जाए।